प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 13-10-2022

विषय- जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध 05 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-31280/सामा-1(8)/135/अयोध्या, दिनांक 03-10-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध निम्नलिखित 05 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 की कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि	कारागार का नाम, जहां स्थानान्तरित किया जाना है
1	2	3	4
1	हसन उर्फ हसन मुल्ला पुत्र श्री मो0 रईस उर्फ शबीबुद्दीन	जिला कारागार, अयोध्या	जिला कारागार, झांसी
2	जीशान पुत्र श्री शाहिद खान	जिला कारागार, अयोध्या	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़
3	महेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री शीतला प्रसाद मिश्र	जिला कारागार, अयोध्या	जिला कारागार, पीलीभीत
4	अनुरूद्ध तिवारी पुत्र श्री ओमप्रकाश तिवारी	जिला कारागार, अयोध्या	जिला कारागार, बिजनौर
5	मो0 स्वाले उर्फ नन्हे पुत्र श्री शमशाद	जिला कारागार, अयोध्या	जिला कारागार, कासगंज

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या/झांसी/फर्रूखाबाद/पीलीभीत/बिजनौर/कासगंज।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या/झांसी/फर्रूखाबाद/पीलीभीत/बिजनौर/कासगंज।
6- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़, जिला कारागार, झांसी/पीलीभीत/बिजनौर/कासगंज।
7- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, अयोध्या से संबंधित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in